न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 231/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– स्व0 देवाराम के का0मुकाम– 1.1–पूनमा पुत्र स्व0 देवाजी 1.2–धनाराम पुत्र स्व0 देवाजी 1.3–मिश्रीलाल पुत्र स्व0 देवाजी 1.4–चेनाराम पुत्र स्व0 देवाजी तमाम जातियान कुम्हार निवासीगण ढांबर तहसील रोहट जिला पाली 1.5–सुगली पुत्री स्व0 देवाजी पत्नी धनजी जाति कुम्हार निवासी सिणगारी तहसील रोहट जिला पाली 1.6–हरी पुत्री स्व0 देवाजी पत्नी अमराराम जाति कुम्हार निवासी सरदार समंद तहसील रोहट जिला पाली		1– स्व0 फुआ पुत्र लालाजी भाट के का0मुकाम– 1.1–गिरधारी पुत्र स्व0 फआजी के का0मु 1.1.1–पानी पत्नी स्व0 गिरधारीजी 1.1.2–उम्मेदराम पुत्र स्व0 गिरधारीजी जातियान राव निवासी ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली 1.1.3–सायरी पुत्री स्व0 गिरधारीजी पत्नी देवाराम जाति राव निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली 1.1.4–संतोष पुत्री स्व0 गिरधारीजी पत्नी नागजी जाति राव मंजल,तहसील सिवाना जिला बाडमेर 1.1.5–प्रेम पुत्री स्व0 गिरधारीजी पत्नी ओमप्रकाश जाति राव निवासी रामपुरा तहसील रोहट जि0 पाली 1.2– मांगिया पुत्र स्व0 फुआजी जाति भाट (राव) 2– कसनी बेवा वरदाराम जाति पटेल निवासी अरटिया तहसील रोहट, जिला पाली 3– स्व0 वरदा पुत्र अरजनिया जाति भांबी के कायम मुकाम– 3.1–मुन्नीलाल पुत्र स्व0 वरदाजी भांबी 3.2–सुजाराम पुत्री स्व0 वरदाजी भांबी निवासीगण ढाबर तहसील रोहट, जिला पाली 4– सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10–7–2015 जो उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 86/2012 अनवान पूनमा वगैरा बनाम फुआ के का0मु0 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोप सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 1 से 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

निर्णय

दिनांक 29–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के

तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम अरटिया तहसील रोहट स्थित खसरा नंबर 469/308मी. रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि मे से 1/3 हिस्सा प्राथीगण के पिता स्व0 देवा वल्द विरमा कौम कुम्हार के नाम दर्ज था, जो लगातार राजस्व रेकर्ड मे चलता रहा परंतु संवत 2040–2042 की जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त खसरा नंबर की भूमि मे इन्द्राज गिरधारी, मांगीया पि0 फुआ कौम राव, देवा वल्द वीरमा कौम कुम्हार के स्थान पर वीरमा, वरदा पि0 अरजनिया कोम भांबी दर्ज हो गया तथा उसके पश्चात इन्द्राज इसी के अनुरूप चलता रहा । जिसकी जानकारी अपीलांटगण को पटवारी हल्का से होने पर धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के जरिये राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त कर ग्राम अरटियां के खसरा नंबर 469/308 मी मे 1/3 हिस्सा अपीलांट के नाम, 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1/1 व 1/2 का नाम हटाया जाये एवं रेस्पो0 संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3/1 व 3/2 के नाम संशोधित करने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–7–15 के द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से खारीज कर दिया जाने पर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अन्य रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड मे संशोधन करने हेतु सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिये थे जिनसे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूर्व मे अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे लगातार देवा वल्द विरमा कौम कुम्हार के नाम दर्ज चला आ रहा था, जो संवत 2040– 2042 की जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त खसरा नंबर की भूमि मे इन्द्राज देवा वल्द वीरमा कौम कुम्हार के स्थान पर वीरमा, वरदा पि0 अजनिया कोम भांबी दर्ज कर दिया गया, जो रेकर्ड मे हुई लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी मे आने से इसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का परिशीलन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जाने पर पटवारी हल्का ने रेकर्ड अनुसार सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर उपलब्ध तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को पोषणीय नही होने का विवेचन

सर्वथा विधिविरूद्ध है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे पोषणीय नही होने बाबत किसी प्रकार का कोई विवेचन नही दिया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे वाद पत्र के जरिये अनुतोष प्राप्त करने का विवेचन दिया है, जो कानूनी परिपेक्ष्य मे सर्वथा गलत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेकर्ड मे दुरस्ती का चाहा गया अनुतोष रेकर्ड दुरस्ती का होने से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना के जरिये ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–7–2015 तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया ।

अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त कर ग्राम अरटियां के खसरा नंबर 469/308 मी मे 1/3 हिस्सा अपीलांट के नाम, 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1/1 व 1/2 का नाम हटाने एवं रेस्पो0 संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3/1 व 3/2 के नाम संशोधित करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–7–15 के द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से खारीज कर दिया जाने पर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत की है । धारा 5 मयाद अधिनियम मे उल्लेखित कथनो के आधार पर उक्त अपील अंदर मयाद सुमार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का गुणावगुण पर अध्ययन करने पर अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पक्षकारान के हिस्सो को जिस प्रकार से कम व ज्यादा करने की इस्तदुआ की है, इस प्रकार का अनुतोष तो नियमित वाद मे पारित निर्णय के जरिये ही हासिल किया जा सकता है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल राजस्व रेकर्ड मे हुई कोई लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त करने का प्रावधान है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारीत अपीलाधीन निर्णय मे

प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने का अभिमत देते हुए खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–7–15 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर